निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (ग्रामीण)

प्रकरण संख्या :136/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मैसर्स शक्ति माल्ट इण्डस्ट्रीज जरिये पार्टनर चांननमल जिन्गर पुत्र श्री पिरागचन्द जिन्गर निवासी अम्बा बाड़ी, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

डा. सरिता शर्मा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर ग्रामीण ।

अप्रार्थी

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 21/2022 ब उनवानी मैसर्स शक्ति माल्ट इण्डस्ट्रीज बनाम सरकार को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 18.12.2023**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 21/2022 ब उनवानी मैसर्स शक्ति माल्ट इण्डस्ट्रीज बनाम सरकार विचाराधीन है। जिसमें प्रकरण ज्यादा होने से सुनवाई नहीं होने एवं रामपुरा डाबडी उपखण्ड न्यायालय खुल जाने से उक्त प्रकरण को रामपुरा डाबडी उपखण्ड न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।
3. बहस प्रार्थी की सुनी गई।
4. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि कृषि भूमि पटवार हका हरमाडा तहसील आमेर के खसरा नम्बर 740 को सन् 1973 में कय किया गया था । जिसका दावा एस डी ओ कोर्ट आमेर मे प्रकरण संख्या 1/2022 उनवानी मैसर्स शक्ति माल्ट इण्डस्ट्रीज बनाम सरकार विचाराधीन है। जिसमें काफी समय व्यतीत हो जाने के बाजवूद भी कोई फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि एस डी ओ आमेर में प्रकरण ज्यादा होने की वजह से इस प्रकरण की सुनवाई नही हो रही है। प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक है तथा अक्सर बीमार रहता है । अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रकरण को नव सृजित रामपुरा डाबडी एस डी ओ न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।
5. प्रार्थी को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

6. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। चूंकि विवादित भूमि पटवार हल्का हरनाडा में स्थित होने से नव सृजित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के क्षेत्राधिकार में आती है। जहां इस प्रकरण को अन्तरण किया जा सकता है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
7. उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 21/2022 व उनवानी मैसर्स शक्ति माल्ट इण्डस्ट्रीज बनाम सरकार को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी को मुन्तकिल किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 09.01.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी में उपस्थित हो।
8. उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।
9. निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर एवं उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
10. निर्णय आज दिनांक 18.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner